

न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या:- 12/61/2025

रजू दिनांक: 12.05.2025

रजि0 न0 2025/105

अपीलार्थी:-

प्रत्यर्थी:-

श्री अमित कुमार शर्मा, फ्लैट-एम, सागर अपार्टमेंट, 6-तिलक मार्ग, नई दिल्ली-110001

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय), जिला अलवर (राजस्थान)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांक:- 10.06.2025

- अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा-6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 21.03.2025 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वांछित सूचना दिलवाई जावे।
- अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील दिनांक 05.05.2025 पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावे।
- अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर वांछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहते हैं तो दिनांक 20.05.2025 को उपस्थित आवें।
- अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया एवं प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रत्यर्थी ने पत्रांक लो.सू.अ./प्रथम अपील/2025/912 दिनांक 26.05.2025 न्यायालय को प्राप्त दिनांक 10.06.2025 के द्वारा जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया है, कि कि अपीलार्थी द्वारा पूर्व सूचना आवेदन दिनांक 21.03.2025 के परिपेक्ष्य में सूचना नहीं मिलने बाबत अभिकथन प्रस्तुत किया है। उक्त के संबंध में अपीलार्थी के सूचना आवेदन दिनांक 21.03.2025 को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार RTI Online Portal पर जरिये Application No. 293337934428279 Date 07.04.2025 दर्ज रजिस्टर कर, आवेदन में वांछित सूचना इस लोक प्राधिकरण से संबंधित नहीं होने के कारण RTI Online Portal पत्र संख्या 8069143144 दिनांक 08.04.2025 के माध्यम से मूल आवेदन उपखण्ड अधिकारी, अलवर को अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत अन्तरित किया जा चुका है। इस प्रकार माननीय राजस्थान राज्य सूचना आयोग, जयपुर के द्वितीय अपील प्रसं0 Appeal No. RIC/ALWAR/A/2024/001131 निर्णय दिनांक 21.03.2024 एवं प्रसं0 Appeal No. RIC/ALWAR/A/2024/001132 निर्णय दिनांक 21.03.2024 बननुवान मदनसिंह यादव बनाम राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर, अलवर में पारित निर्णय के आलोक में अपीलार्थी के संज्ञान में जानकारी होने के बावजूद भी असंगत लोक प्राधिकारी के विरुद्ध हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है, इस लोक सूचना अधिकारी कार्यालय स्तर पर अपीलार्थी के सूचना आवेदन के संबंध में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है, इस परिपेक्ष्य में अपील पोषणीय नहीं है। उपखण्ड अधिकारी, अलवर के स्तर पर अपेक्षित सूचना/जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तथापि प्रथम अपील के अनुसरण में पूर्व प्रेषित सूचना/विनिश्चय पत्र की छायाप्रति अपीलार्थी को पुनः उपलब्ध कराई जा रही है।
- पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रस्तुत जवाब के अवलोकन एवं अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना के संबंध में ऑनलाईन पत्र सं. 8069143144 दिनांक 08.04.2025 के माध्यम से विनिश्चय किया जाकर सूचित किया जा चुका है। तथापि प्रत्यर्थी द्वारा प्रथम अपील के संबंध में जरिये प्रतिलिपि क्रमांक सम/913-14 दिनांक 26.05.2025 के द्वारा उक्त प्रकरण में अधिनियम, 2005 के विधिक प्रावधानों के आलोक में पुनः सूचना प्रेषित की जा चुकी है। अपील अपीलार्थी अस्वीकार किये जाने योग्य है।
- अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावे।
- निर्णय आज दिनांक 10.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफतर हो।



(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर अलवर
अलवर (राजस्थान)
(राजस्थान)